राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनु-1) विभाग,

क्रमांक प.10 (2)प्र.सु./सम/अनु-1/96 दिनांक 20.10.10

परिपत्र

संसद सदस्य, विधायक, जिला प्रमुख, प्रधान आदि जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें अपने क्षेत्र की जन समस्याओं तथा बिजली, पानी, सड़क, यातायात, आपदा प्रबन्धन एवं विभिन्न विकास योजनाओं के निर्माण/क्रियान्वयन के लिए संबंधित राजकीय विभागों/निगमों/बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों से पत्र व्यवहार एवं सम्पर्क करना होता है।

अतः जनप्रतिनिधिगणों से प्राप्त पत्रों की पावती एवं उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों पर की गई कार्यवाही की सूचना से समय-समय पर अगवत कराया जाना चाहिए। अतएत यह जरूरी है कि जब भी इनके पत्र विभाग/कार्यालय में प्राप्त हो, तो संबंधित अधिकारी तत्काल उसकी पावती भेजें एवं पत्र में उठाये गये मुद्दों पर की गई कार्यवाही से भी अवगत भी करावें। प्रशासनिक सुधार विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.7.01, 10.6.09 एवं 31.8.09 में इस संबंध में विस्तृत निर्देश है जिनकी पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक है।

सभी विभागों/निगमों/मण्डलों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त निर्देशों की सभी स्तरों पर पालना पूर्णनिष्ठा से की जावे।

ह0/-
(एस.अहमद)
मुख्य सचिव

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज., "कर-भवन", अजमेर

कमांकः एफ-7(87)जन/10/22023-473 दिनांकः 02-11-2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपु।
8. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
10. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
11. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत-जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
14. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

01/11/10

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर